व्यक्ति विशेष के लिए शस्त्र और गोलाबारूद नीति

शस्त्र और गोलाबारूद से संबंधित सभी मामले उदाहरण स्वरूप अर्जन, उसे रखने, विनिर्माण, बिक्री, आयात, निर्यात और लाना-ले जाना शस्त्र अधिनियम, 1959 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों नामत: शस्त्र नियम, 1962 द्वारा शासित होते हैं। ये दोनों दिनांक 1 अक्तूबर, 1962 को लागू हुए। शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 1962 में व्यक्ति विशेष द्वारा आग्नेयास्त्रों के अर्जन और उसे रखने तथा आग्नेयास्त्रों और गोलाबारूद के विनिर्माण, बिक्री, लाने-ले जाने, आयात और निर्यात से संबंधित प्रावधान मौजूद हैं।

2. शस्त्र अधिनियम ''निषिद्ध शस्त्रों'' को परिभाषित करता है। वे शस्त्र, जो स्वचालित अथवा अर्ध स्वचालित प्रकृति के हैं वे निषिद्ध बोर (पी बी) शस्त्रों की श्रेणी में आते हैं और शेष शस्त्र जो गैर-स्वचालित अथवा बोल्ट एक्शन प्रकृति के हैं वे गैर निषिद्ध बोर (एन पी बी) शस्त्रों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 1987 से पहले निषिद्ध बोर और गैर- निषिद्ध बोर आग्नेयास्त्रों के अर्जन और उसे रखने संबंधी लाइसेंस संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाते थे। परन्तु 1987 से निषिद्ध बोर शस्त्रों के लिए लाइसेंस जारी करने की शक्तियां संबंधित राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट से वापस ले ली गईं और तब से पी बी शस्त्रों के लिए लाइसेंस केवल केन्द्र सरकार (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी किए जा रहे हैं जबकि गैर-निषिद्ध बोर शस्त्रों के लिए लाइसेंस संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/राज्य सरकार द्वारा ही जारी किए जा रहे हैं।

3. देश में शस्त्र और गोलाबारूद के प्रसार से सामाजिक व्यवस्था और उसके विकास में बाधा उत्पन्न होती है। शस्त्रों का प्रसार, चाहे वह लाइसेंसप्राप्त हो अथवा अवैध हो, 'कानून एवं व्यवस्था' की स्थिति को खराब करता है। झगड़ालू दलों द्वारा परिष्कृत शस्त्र रखे जाने से हिंसक कृत्यों का परिणाम काफी घातक होता है। अत:, सैद्धांतिक रूप में, शस्त्रों के प्रसार को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में व्यक्ति-विशेष द्वारा शस्त्रों और गोलाबारूद को रखने तथा देश में आग्नेयास्त्रों के उत्पादन हेतु शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किए जाने के लिए शस्त्र अधिनियम/शस्त्र नियम के उपबंधों की समीक्षा करना अत्यावश्यक है।

4. **व्यक्ति-विशेष द्वारा आग्नेयास्त्रों का अर्जन और उसे अपने पास रखना** :

शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3 (1) के अंतर्गत कोई व्यक्ति तब तक कोई आग्नेयास्त्र अथवा गोलाबारूद का अर्जन नहीं करेगा अथवा अपने पास नहीं रखेगा या अपने साथ नहीं लाएगा-ले जाएगा जब तक कि उसके पास इस संबंध में शस्त्र अधिनियम और

उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में एक लाइसेंस जारी न किया जाए। धारा 3 (2), किसी व्यि को एक समय पर 3 आग्नेयास्त्रों से अनधिक आग्नेयास्त्र को अर्जित करने, उसे अपने पास रखने और उसे अपने साथ लाने-ले जाने की अनुमति प्रदान करता है। शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 9, निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को किसी भी आग्नेयास्त्र अथवा गोलाबारूद के अर्जन, अपने पास रखने अथवा उसे अपने साथ ले जाने को निषिद्ध करती है :

(क) वह व्यि जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो;

(ख) वह व्यि, जिसे दंड पूरा होने के पश्चात 5 वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय किसी ऐसे दंड, जिसमें हिंसा अथवा नैतिक पतन हेतु किसी भी समयावधि के लिए कैद में रखा जाता हो, में दोषसिद्धि के लिए दंडित किया गया हो;

(ग) वह व्यि जिसे बंधपत्र (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय-VIII के अंतर्गत) की अवधि के दौरान किसी भी समय, शांति बनाए रखने अथवा अच्छा व्यवहार करने के लिए एक बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया गया हो।

शस्त्र अधिनियम, 1959 के उपर्युक्त प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

5. **<u>शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति के पूर्व पुलिस सत्यापन</u> :** शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2) में यह निहित है कि शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति हेतु कोई आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंस प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की रिपोर्ट मांगेगा। धारा 13 (2क) में यह भी अपेक्षित है कि लाइसेंस प्राधिकारी, यदि उचित समझे, तो आवेदक की प्रमाणिकता को सत्यापित करने हेतु अतिरिक्त सूचना के लिए जांच का आदेश दे सकता है। धारा 13 (2क) के अंतर्गत एक परन्तुक भी है जो इस प्रकार पठित है कि ''परन्तु यह कि निकटतम पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी, यदि निर्धारित समय के भीतर आवेदन पर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, तो लाइसेंस प्राधिकारी, यदि उचित समझे, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना निर्धारित समय के पूरा हो जाने के बाद ऐसा आदेश दे सकता है''। अतः शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2क) के अंतर्गत यह परन्तुक, लाइसेंस प्राधिकारी को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह निर्धारित समय के भीतर पुलिस रिपोर्ट प्राप्त न होने पर उक्त की प्रतीक्षा न करे। चूंकि किसी भी व्यक्ति को शस्त्र लाइसेंस देने से पूर्व पुलिस सत्यापन रिपोर्ट पर विचार करना अनिवार्य समझा गया है इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि धारा 13 (2क) के परन्तुक को हटा दिया जाए। उक्त परन्तुक को हटाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि पुलिस प्राधिकारियों की ओर से यह पदधारी की जवाबदेही होगी कि

वह 60 दिनों की अवधि के भीतर लाइसेंस प्राधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट भेजे। इस प्रकार, लाइसेंस प्राधिकारी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने की निर्धारित अवधि पूरी होने की प्रतीक्षा करेगा। यदि 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो लाइसेंस प्राधिकारी पुलिस प्राधिकारियों को उनके दायित्व का स्मरण कराएगा और एक रिपोर्ट की मांग करेगा परन्तु वह पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात ही शस्त्र लाइसेंस जारी करेगा।

6. **<u>पी बी हथियारों के लिए शस्त्र लाइसेंसों की स्वीकृति</u>** : भारत के नागरिकों, जिनकी जान को गंभीर और आसन्न खतरा है, से पी बी हथियारों के शस्त्र लाइसेंसों की स्वीकृति हेतु आवेदनों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाता है। यह निर्णय लिया गया है कि पी बी हथियारों के लिए शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति हेतु केवल निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा :

(i) वे व्यक्ति, जिनकी जान को गंभीर और आसन्न खतरा केवल इस कारण से है कि वे ऐसे भौगोलिक क्षेत्र (अथवा क्षेत्रों) के निवासी हैं, जहां आतंकवादी अधिक सक्रिय हैं और/अथवा आतंकवादियों की नजर में वे प्रमुख 'निशाने' बने हुए हैं और/अथवा आतंकवादियों के लक्ष्य और उद्देश्यों के लिए खतरे माने जाते हैं और इसलिए उनकी जान को खतरा है।

(ii) ऐसे सरकारी कर्मचारी, जो अपने पद के कारण और/अथवा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति और/अथवा अपनी सरकारी ड्यूटी के निर्वहन के कारण, आतंकवादियों की नजर में निशाना बन जाते हैं और उन पर आतंकवादी हमले होने की आशंका (संभावना) होती है।

(iii) गैर-सरकारी/निजी व्यक्ति सहित संसद सदस्य और विधायक, जो सरकार के आतंकवाद-रोधी कार्यक्रमों और नीतियों से नजदीकी रूप से और/अथवा सक्रिय रूप से शामिल हैं अथवा अपने किसी राजनैतिक अथवा किसी और प्रकार के मत के कारण जो आतंकवादियों को नापसंद हो, स्वयं को आतंकवादियों का निशाना बना लिया है।

(iv) उन व्यक्तियों के पारिवारिक सदस्य/निकटतम संबंधी, जो सरकार (पूर्व अथवा वर्तमान) में अपनी ड्यूटियों अथवा कार्य निष्पादन (पूर्व अथवा वर्तमान) अथवा पद की प्रकृति अथवा यहाँ तक ज्ञात/अज्ञात कारणों से निशाना बन गए हैं और आतंकवादियों द्वारा खत्म किए जाने हेतु उचित निशाने समझे जाने लगे हैं।

7. **<u>एन पी बी हथियारों के लिए शस्त्र लाइसेंसों की स्वीकृति</u>** – एन पी बी हथियारों के लिए शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन संबंधित राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाते हैं। उन्हें पुलिस प्राधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किए जाते हैं। न ही धारा 13 और न ही नियम 52 में ऐसा कोई मामला निहित है जिसका अनुपालन लाइसेंसिंग प्राधिकारी एक लाइसेंस को स्वीकृत करने से पूर्व करे। अतः कुछ राज्य सरकारें एन पी बी लाइसेंस देने के लिए उदार मानदंडों का पालन करती हैं। यह निर्णय लिया गया है कि शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति हेतु शस्त्र नियम, 1962 में संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित शर्त निर्धारित किए जाएं :

(क) उन्हीं व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा जिनकी जान को गंभीर खतरा है अथवा होने की संभावना है, जिसके लिए लाइसेंस प्राधिकारी पुलिस प्राधिकारियों के माध्यम से खतरे की दृष्टि से आकलन प्राप्त करेगा।

(ख) शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13 (2) के अंतर्गत ''निर्धारित अवधि'' 60 दिनों से कम नहीं होगी, जिसके भीतर पुलिस प्राधिकारियों से यह अपेक्षित होगा कि वे (i) आवेदक के पूर्ववृत्तों, (ii) खतरे का आकलन, (iii) आवेदक की शस्त्र संभालने संबंधी क्षमता और (iv) कोई अन्य सूचना जिसे पुलिस प्राधिकारी लाइसेंस की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के लिए संगत समझें, के बारे में अपनी रिपोर्ट भेजें।

(ग) लाइसेंस प्राधिकारी, यदि आवश्यक समझे, आवेदक की प्रमाणिकता के सत्यापन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदक उनके क्षेत्राधिकार के भीतर निवास करता है, कोई सूचना/दस्तावेजों जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड अथवा कोई अन्य दस्तावेज, दस्तावेजों जैसे की मांग कर सकता है।

(घ) लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकारी, शस्त्र लाइसेंस मंजूर करने से पहले धारा 13 (2) के अंतर्गत मांगी गई पुलिस प्राधिकारियों की रिपोर्ट को ध्यान में रखने के लिए बाध्य होगा तथा पुलिस सत्यापन के बिना कोई भी शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

8. उपर्युक्त के अतिरिक्त, जिला मजिस्ट्रेट त्रैमासिक आधार पर राज्य सरकारों को लाइसेंसों की मंजूरी की सूचना देगा तथा इसे गृह सचिव स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा मॉनीटर

किया जाएगा। राज्य सरकार जिले-वार तथा वैधता क्षेत्र सहित एन पी बी हथियारों के लिए लाइसेंसों की मंजूरी को दर्शाने वाली वार्षिक आधार पर एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भी प्रेषित करेगी।

9. **<u>पारिवारिक कुलागत वस्तु के अंतर्गत शस्त्र लाइसेंसों की मंजूरी</u>** - किसी मौजूदा लाइसेंसधारी के निषिद्ध बोर/गैर-निषिद्ध बोर हथियारों को उसके वैध वारिसों को अंतरित करने की अनुमति दी जाती है, यदि, लाइसेंसधारी के पास 25 वर्षों अथवा इससे अधिक की अवधि तक हथियार रहा हो अथवा लाइसेंसधारी की उम्र 70 वर्ष या इससे अधिक की हो गई हो। निषिद्ध बोर (पी बी) तथा गैर-निषिद्ध बोर (एन पी बी) हथियारों के अंतरण हेतु आवेदनों पर क्रमश: गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार/डी एम द्वारा इस शर्त के अध्यधीन विचार किया जाता है कि वैध वारिस, शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने हेतु पात्र होना चाहिए तथा उक्त हथियार संभालने के योग्य होना चाहिए। वर्तमान में, पारिवारिक कुलागत वस्तु मामलों में ''वैध वारिस'' की परिधि के अंतर्गत, लाइसेंसधारी की इच्छानुसार उसके जीवनकाल में पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति के पक्ष में लाइसेंस को अंतरण करने के आवेदनों पर विचार किया जाता है। लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाने पर भी, पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति के पक्ष में हथियार के अंतरण पर, अन्य वैध वारिसों से अनापत्ति के अध्यधीन विचार किया जाता है। कुछेक मामलों में लाइसेंसधारी की ओर से इस आधार पर दामाद, पुत्र-वधू, भाई, बहन अथवा अन्य संबंधी जैसे भतीजा आदि के पक्ष में हथियार के अंतरण की अनुमति दिए जाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि उनके पुत्र/पुत्री विदेश में बस गए हैं एवं/अथवा वे हथियार के इच्छुक नहीं हैं/वे हथियार के अधिग्रहण की स्थिति में नहीं हैं अथवा लाइसेंसधारी के अपने कोई पुत्र/पुत्री नहीं हैं। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि पुत्र, पुत्री, पत्नी एवं पति, जिनके बारे में लाइसेंसधारी अपने जीवन काल में, अपनी इच्छानुसार हथियार के अंतरण के लिए स्वतंत्र होगा, के अलावा लाइसेंसधारी के दामाद, पुत्र-वधू, भाई एवं बहन को, प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर शामिल करने के लिए ''वैध वारिस'' की परिधि को विस्तारित किया जाए। लाइसेंसधारी की मृत्यु के उपरांत, गुणावगुणों के आधार पर, अन्य वैध वारिसों की ओर से ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' के अध्यधीन दामाद/पुत्र-वधू/भाई/बहन के पक्ष में हथियार के अंतरण की भी अनुमति दी जाए।

10. **<u>रक्षा आबंटियों को शस्त्र लाइसेंस की मंजूरी</u>** - वर्तमान में, रक्षा अधिकारियों को हथियार आबंटित किए जाते हैं जो वे रक्षा सेवा नियमों के अंतर्गत बिना किसी शस्त्र लाइसेंस के सेवा में रहने तक उसे रख सकते हैं। जब वे रक्षा सेवा के सदस्य नहीं रह जाते तब उन्हें हथियार

रखने के लिए शस्त्र लाइसेंस की आवश्यकता होती है। रक्षा आबंटी नीति के अंतर्गत उन्हीं रक्षा कार्मिकों को शस्त्र लाइसेंस की मंजूरी दी जाती है जिन्हें जून, 1982 के पूर्व रक्षा संगठन द्वारा ऐसे हथियार आबंटित किए गए थे। उन रक्षा कार्मिकों को लाइसेंस मंजूर करने की अनुमति देने के लिए मामले को रक्षा मंत्रालय के साथ उठाया गया है जिन्हें रक्षा प्राधिकारियों द्वारा जून, 1982 के बाद हथियार आबंटित किए गए हैं तथा रक्षा मंत्रालय से सिफारिशें प्राप्त होने के बाद इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा।

11. **<u>खतरा अवबोधन नीति के अंतर्गत भारत के विदेशी नागरिकों को शस्त्र लाइसेंस की मंजूरी</u>** – भारत के विदेशी नागरिकों से भारत में हथियार रखने के लिए शस्त्रों के लाइसेंस मंजूर करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, भारत के विदेशी नागरिकों को शस्त्र लाइसेंस मंजूर न करने का निर्णय लिया गया है।

12. <u>पारिवारिक कुलागत वस्तु श्रेणी के अंतर्गत भारत के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) को शस्त्र लाइसेंस की मंजूरी</u> – भारत के विदेशी नागरिकों से परिवार में रखे हथियारों के स्वामित्व हेतु शस्त्र लाइसेंस मंजूर करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। पारिवारिक कुलागत वस्तु श्रेणी के विद्यमान अनुदेशों में भारत के विदेशी नागरिकों का मामला शामिल नहीं है। लाइसेंसधारी के परिवार में धारित हथियार से जुड़े भावनात्मक मूल्य पर विचार करते हुए भारत के विदेशी नागरिकों को, भारतीय नागरिकों के लिए पहले से प्रचलित पारिवारिक कुलागत वस्तु श्रेणी के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया गया है। कोई भी भारत का विदेशी नागरिक अपने पिता अथवा रिश्तेदार का, जिसका उक्त ओ सी आई वैध वारिस हो, पारिवारिक कुलागत वस्तु श्रेणी के अंतर्गत लागू उन्हीं शर्तों के अध्यधीन, हथियार अधिगृहीत कर सकता है। भारत के विदेशी नागरिकों को शस्त्र लाइसेंस की मंजूरी इस शर्त के भी अध्यधीन होगी कि वे शस्त्र अधिनियम/शस्त्र नियमों के उपबंधों का पालन करेंगे तथा भारत छोड़ते समय हथियार की अभिरक्षा सुनिश्चित करेंगे एवं नियमानुसार, उसे पुलिस थाना अथवा किसी अनुमोदित शस्त्र विक्रेता के पास जमा करेंगे।

13. **<u>पुरस्कार के रूप में हथियार प्राप्त पुलिस कार्मिकों को लाइसेंस की मंजूरी</u>** - पुलिस एवं अर्द्ध-सैनिक बल के ऐसे कार्मिकों को जिन्हें राज्य सरकार/पुलिस संगठनों द्वारा उनके प्रशिक्षण अथवा पासिंग आउट परेड आदि के दौरान उनके उत्कृष्ट निष्पादन के मान्यता-स्वरूप हथियार प्रदान किए जाते हैं, को लाइसेंस मंजूर करने का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे पुलिस एवं अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु एक प्रावधान किया जाएगा। आवेदन

प्रस्तुत करने की रीतियों एवं अपनाए जाने वाले मानदंडों को दिनांक 28.05.09 को सभी राज्य सरकारों को प्रेषित कर दिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि इसके बाद, राज्य सरकारें एवं पुलिस संगठन गैर-निषिद्ध बोर के हथियारों की अनुमति दे सकेंगे तथा निषिद्ध बोर के हथियारों की अनुमति केवल अप्रतिरोध्य कारणों के लिए दी जाएगी।

14. **<u>विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अनुमत गोलाबारूद की मात्रा</u>** – वर्तमान में, किसी निषिद्ध बोर शस्त्र लाइसेंसधारक को इस शर्त के अध्यधीन कि एक बार में 30 से अधिक कारतूस नहीं खरीदे जा सकते हैं, प्रतिवर्ष 50 गोलाबारूद कारतूस खरीदने की अनुमति है। गैर-निषिद्ध शस्त्रों के बारे में, राज्य सरकारें भिन्न-भिन्न मानदंड अपना रही हैं तथा गोलाबारूद की भिन्न-भिन्न मात्रा की अनुमति दे रही हैं। यह निर्णय लिया गया है कि एक समान मानदंड निर्धारित किया जाए तथा लाइसेंसधारी द्वारा रखे गए निषिद्ध बोर एवं गैर-निषिद्ध बोर हथियारों के बारे में प्रतिवर्ष उपयुक्त बोर के 50 कारतूसों की अनुमति दी जाए। तथापि, पारिवारिक कुलागत वस्तु नीति के अंतर्गत अनुमत निषिद्ध-बोर एवं गैर-निषिद्ध-बोर के हथियारों के बारे में गोलाबारूद की मात्रा 30 कारतूस प्रति वर्ष प्रतिबंधित की जाएगी, क्योंकि, साधारणतया वैध वारिसों को कोई खतरा नहीं होता है तथा उन्हें हथियार, भावनात्मक लगाव के आधार पर अंतरित किया जाता है। आपवादिक मामलों में, लाइसेंसधारी द्वारा संबंधित राज्य के सचिव (गृह विभाग) के अनुमोदन से दिए गए सही एवं उपयुक्त कारणों के गुणावगुणों के आधार पर गोलाबारूद की उच्चतर मात्रा अनुमेय होगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार लाइसेंसधारी द्वारा गोलाबारूद के प्रयोग पर सूचना का निर्धारण करे तथा सूचना प्रक्रिया का अभिकल्पन करे जिसके तहत प्रत्येक लाइसेंसधारी अपने गोलाबारूद के प्रयोग जैसे कि (i) प्रयोग की तारीख, (ii) स्थान, (iii) फायर की गई बुलेट की संख्या तथा (iv) उद्देश्य का अभिलेख अपने पास रखे। लाइसेंसधारी, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार वर्तमान वर्ष में गोलाबारूद की खरीद से पहले गत वर्ष के दौरान गोलाबारूद के प्रयोग के बारे में संबंधित प्राधिकारी को सूचित करे। इस प्रकार, एक वर्ष में गोलाबारूद की मात्रा को गत वर्ष में प्रयोग किए गए गोलाबारूद की मात्रा तक सीमित किया जाएगा ताकि किसी भी समय लाइसेंसधारी के पास गोलाबारूद की कुल मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक न हो। उदाहरणार्थ, खतरा अवबोधन श्रेणी के तहत यदि, किसी लाइसेंसधारी ने गत वर्ष के दौरान 50 कारतूसों के कोटा के मुकाबले एक भी गोलाबारूद इस्तेमाल नहीं किया, तो वर्तमान वर्ष के लिए नया कोटा देय न होगा। राज्य सरकारें इस संबंध में लाइसेंसधारियों एवं राज्य के सभी शस्त्र विक्रेताओं को समुचित अनुदेश जारी करे। प्रत्येक डी.एम. द्वारा संबंधित राज्य सरकार को त्रैमासिक आधार पर लाइसेंसधारी द्वारा इस्तेमाल किए गए गोलाबारूद पर एक रिपोर्ट भेजी

जाएगी तथा राज्य सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर एक समेकित रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी।

15. **<u>शस्त्र लाइसेंसों की क्षेत्र वैधता</u>** – निषिद्ध बोर (पी बी) हथियारों के बारे में एक राज्य से लेकर एक से अधिक राज्यों अथवा सम्पूर्ण भारत आधार पर क्षेत्र वैधता का विस्तार केन्द्रीय सरकार द्वारा गुणावगुणों के आधार पर किया जाता है। गैर-निषिद्ध बोर वाले हथियारों के बारे में राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे अनुरोध की सत्यता, स्थानीय कारकों तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए डी.एम. की सिफारिशों के आधार पर न्यायिक रूप से अखिल भारतीय वैधता (ए.आई.वी.) की अनुमति देने के अनुरोधों पर विचार करे। राज्य सरकारों को यह सलाह देने का निर्णय लिया गया है कि वे अधिकतम तीन सटे हुए राज्यों तक ही क्षेत्र वैधता की अनुमति प्रदान करें तथा राज्य स्तर पर (i) पदासीन केन्द्रीय मंत्रियों/सांसदों, (ii) सेना, अर्द्ध-सैनिक कार्मिकों (iii) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों तथा (iv) भारत में कहीं भी सेवा के दायित्व वाले अधिकारियों, और (v) खिलाड़ियों के अखिल भारतीय वैधता के अनुरोधों पर भी विचार करें। अखिल भारतीय वैधता 3 वर्ष के लिए अनुमत की जाए, जिसके बाद, आवश्यकता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा और क्षेत्र वैधता या तो घटायी जा सकती है अथवा अगले तीन वर्षों तक जारी रहने की अनुमति दी जा सकती है। उपर्युक्त श्रेणियों के आवेदकों से प्राप्त अनुरोध को संबंधित राज्य के सचिव (गृह) के स्तर पर अनुमोदित किया जाएगा। ऐसे आवेदकों के मामले, जो उपर्युक्त श्रेणियों में नहीं आते हैं, राज्य सरकार सुपात्र मामलों में पूर्ण औचित्य के साथ गृह मंत्रालय से पूर्व सहमति प्राप्त करेगी। ऐसे मामलों में तीन वर्ष की अखिल भारतीय वैधता की अनुमति दी जानी चाहिए और गृह मंत्रालय की पूर्व सहमति से राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के बाद इस पर पुनः विचार किया जाएगा। राज्य सरकार, तिमाही आधार पर अखिल भारतीय वैधता आंकड़े, गृह मंत्रालय को भेजें।

16. **<u>शस्त्र लाइसेंसों का नवीकरण-</u>** पी बी और एन पी बी हथियारों के लिए शस्त्र लाइसेंस, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा शुरू में तीन वर्ष के लिए वैध किए जाएंगे। पी बी और एन पी बी लाइसेंसों का नवीकरण प्रत्येक 3 वर्ष के बाद राज्य सरकार/डी एम द्वारा किया जाएगा। जिस प्राधिकरण ने लाइसेंस मंजूर किया है उसको छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा उसका नवीकरण, शस्त्र नियम, 1962 के नियम 54 के तहत अनुज्ञेय है। यह निर्णय लिया गया है कि नवीकरण करते समय पूर्व-वृत्तों का पुनः सत्यापन निम्नलिखित मामलों में पुलिस प्राधिकारियों के माध्यम से डी एम द्वारा किया जाएगा (i) उन मामलों में जिनमें डी

एम/लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारी को कोई संदेह है, (ii) अन्य मामलों में छः वर्ष के बाद अर्थात् प्रत्येक दूसरे साइकल के बाद जब लाइसेंस नवीकरण के लिए आता है, और (iii) उन सभी मामलों में जहां लाइसेंस, इसे प्रदान करने वाले किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अन्तिम उल्लिखित मामले में नवीकरण किए जाने से पहले जारीकर्ता प्राधिकारी से लाइसेंस जारी किए जाने का सत्यापन भी पुलिस सत्यापन के साथ निर्धारित किया जा सकता है। पुलिस प्राधिकारियों को अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए 60 दिन की अवधि दी जाएगी।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे छः महीने पहले पुलिस पुनर्सत्यापन करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी जिला अधिकारियों को सलाह देने की व्यवहार्यता की जांच करें क्योंकि किसी लाइसेंस का पूरा रिकार्ड जिला अधिकारियों के पास उपलब्ध होता है।

17. **<u>साधारण हथियारों की बिक्री :</u>** शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 5 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी आग्नेयास्त्र को तब तक नहीं बेचेगा, हस्तांतरित नहीं करेगा, प्रदर्शित नहीं करेगा या बिक्री या हस्तांतरण का प्रस्ताव नहीं करेगा या बेचने के लिए अपने पास नहीं रखेगा जब तक इस संबंध में शस्त्र अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया लाइसेंस उसके पास न हो। [धारा 5 (2) में यह भी व्यवस्था की गई है कि उप-धारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, जिसके पास इस संबंध में कोई लाइसेंस न हो, किसी ऐसे हथियार या गोलीबारूद, जो उसके अपने निजी प्रयोग के लिए विधि सम्मत रूप से उसके कब्जे में है, किसी ऐसे व्यक्ति को बेच या हस्तांतरित कर सकता है जो व्यक्ति इस अधिनियम या फिल वक्त लागू, किसी अन्य कानून के आधार पर इसे रखने का पात्र है या जिस पर इस अधिनियम या ऐसे किसी अन्य कानून द्वारा ऐसे हथियार या गोला बारूद रखने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।] धारा 5 (2) के नीचे परन्तुक में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसा कोई आग्नेयास्त्र या गोली बारूद, जिसके संबंध में धारा 3 के तहत लाइसेंस अपेक्षित है और कोई भी हथियार, जिसके संबंध में धारा 4 के तहत लाइसेंस अपेक्षित है, किसी व्यि द्वारा बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा जब तक (क) उसने उस अधिकार क्षेत्र वाले जिला मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को ऐसे आग्नेशास्त्र, गोली बारूद या अन्य हथियार बेचने या हस्तांतरित करने के अपने इरादे के बारे में और उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसे वह ऐसे आग्नेयास्त्र, गोलीबारूद या अन्य हथियार बेचना चाहता है, को लिखित रूप से सूचित न कर दिया हो, और (ख) ऐसी सूचना देने के बाद कम से कम पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त हो गई हो। इस प्रकार शस्त्र अधिनियम में उल्लिखित 45 दिन का नोटिस देकर हथियारों को बेचने/हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया है और इस संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

18. **<u>आयातित हथियारों की बिक्री :</u>** हथियार आयातक को इस आशय की अनुमति देने के अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं कि वह किसी लाइसेंसधारी को आयातित हथियारों (पी बी और एन पी बी दोनों) को तभी बेचेगा जब ऐसे हथियार प्राप्त करने की तारीख से दस वर्ष हो जाएं या उस महिला/पुरुष की आयु 60 वर्ष हो जाए, इनमें से जो भी बाद में हो और यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि ऐसे आयातक पर उसके (आयातक) जीवनकाल के दौरान भारत में किसी भी हथियार का अधिग्रहण किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आयातक/विक्रेता से लाइसेंसिंग प्राधिकारी को इस आशय का विधिवत शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। ऐसे मामलों में जिनमें शस्त्र लाइसेंस का ऐसा कोई खंड है कि आयातक अपने जीवनकाल में अपना हथियार नहीं बेचेगा तो उसे भी शामिल किया जाएगा और उक्त शर्त के अध्यधीन आयातित हथियार बेचने की अनुमति दी जाएगी और इस संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

19. **<u>खिलाड़ियों द्वारा आयातित खेल-कूद के हथियारों की बिक्री:-</u>** वर्तमान अनुदेशों के अनुसार ख्यातिप्राप्त निशानेवाजों को अपने आयातित हथियार (हथियारों) को प्राप्त करने की तारीख से पाँच वर्ष के बाद इस शर्त के अध्यधीन उसे/उन्हें उदीयमान/उभरते निशानेबाजों को ही बेचने की अनुमति दी जाती है कि ख्यातिप्राप्त निशानेबाजों को उनके हथियारों का निपटान करने की अनुमति दिए जाने से पहले हथियारों की स्थिति का आकलन, कार्यकारी निदेशक (टीम), भारतीय खेल-कूद प्राधिकरण की अध्यक्षता में और एन आर ए आई और राष्ट्रीय निशानेबाजी कोच के सदस्य के रूप में एक-एक प्रतिनिधि लेकर गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जा सकता है। निपटान की अनुमति, इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही दी जाएगी और ऐसे हथियारों का निपटान करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन्हें संबंधित राज्य एसोसिएशन से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन ही दूसरे उभरते निशानेबाज को बेचा जा रहा है। तथापि, जो निशानेबाज लगातार तीन वर्ष तक अपना 'ख्यातिप्राप्त निशानेबाज' का स्टेटस बनाए रखते हैं इन्हें आयातित हथियार प्राप्त किए जाने की तारीख से तीन वर्ष के बाद अपने ऐसे हथियार बेचने की अनुमति दी जाती है। उदीयमान निशानेबाज वह होता है जिसने पूर्ववर्ती राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धा में पहले तीन निशानेबाजों में स्थान बनाया हो। ऐसे हथियार का निपटान किए जाने के बाद ख्यातिप्राप्त निशानेबाज द्वारा एन आर ए आई, भारतीय खेल-कूद प्राधिकरण और युवा कार्य और खेलकूद मंत्रालय को इस आशय की सूचना दी जाएगी और इस संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

20. **<u>खराब/त्रुटिपूर्ण हथियारों को बदलना :</u>** शस्त्र अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि लाइसेंसी द्वारा लाइसेंसिंग प्राधिकरण या निकटतम पुलिस स्टेशन को नोटिस देकर किसी हथियार को बेचा/हस्तांतरित किया जा सकता है और कम से कम 45 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा बेचने/हस्तांतरण करने की अनुमति दी जा सकती है। तदनुसार खराब/त्रुटिपूर्ण हथियार बदलने के लिए लाइसेंसी द्वारा हथियार का निपटान किए जाने का नोटिस, किसी प्राधिकृत हथियार निर्माता/सक्षम अधिकारी से हथियार खराब होने/आर्थिक दृष्टि से मरम्मत से परे होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जा सकता है। किसी ऐसे लाइसेंसी के मामले में, जिसके हथियारों के लाइसेंस में लाइसेंसी के जीवन काल के दौरान हथियार बेचने का निषेधात्मक खंड है (सामान्यतया आयातित हथियारों के मामले में), ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी से खराब/आर्थिक दृष्टि से मरम्मत से परे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर सीमा शुल्क विभाग/ राजस्व विभाग के साथ परामर्श करने के बाद लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इसे बदले जाने पर विचार किया जा सकता है। लाइसेंसिंग प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार पुराने हथियार लौटाए जाने/निपटान कर दिए जाने के बाद लाइसेंस पर नया हथियार दिया जाएगा।

21. **<u>अप्रचलित, अप्रयुक्तप्राय, जब्त, कुर्क और बरामद किए गए हथियारों का भंडारण/निपटान:</u>** अप्रचलित/अप्रयुक्तप्राय, जब्त, कुर्क बरामद किए गए निषिद्ध बोर के हथियारों के साथ-साथ गैर निषिद्ध बोर के हथियारों के भण्डारण और निपटान के लिए पृथक अनुदेश विद्यमान हैं। निषिद्ध बोर के जो हथियार मरम्मत करने योग्य हैं उन्हें गृह मंत्रालय (प्रोविजनिंग प्रभाग) द्वारा सेना/केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों/राज्य पुलिस को आबंटित किया जा सकता है। मरम्मत योग्य गैर निषिद्ध हथियारों को उन पात्र व्यक्तियों को आबंटित किया जा सकता है जिनके पास हथियारों का लाइसेंस हो और यह इस संबंध में यथानिर्धारित शर्त और प्रक्रिया के अध्यधीन होगा। खराब हथियारों को यथानिर्धारित प्रकिया के अनुसार या तो नष्ट कर दिया जाएगा या उनका निपटान कर दिया जाएगा। अप्रचलित, अप्रयुक्तप्राय, जब्त किए गए, कुर्क और बरामद किए गए हथियारों की वार्षिक लेखा परीक्षा निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

22. **<u>उदारतापूर्वक हथियारों के लाइसेंस मंजूर करने का अनुरोध:</u>** निम्नलिखित के पक्ष में उदारतापूर्वक हथियारों के लाइसेंस मंजूर किए जाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं: (i) कंपनियों /निजी प्रतिष्ठानों द्वारा अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए (ii) सुरक्षा कंपनियों और एजेंसियों द्वारा नियोजित अपने सुरक्षा कार्मिकों के लिए; और (iii) व्यावसायियों/व्यापारियों/उद्योगपतियों/कर दाताओं द्वारा अपनी रक्षा के लिए। किसी कंपनी के

परिसरों या संपत्ति की रक्षा के लिए उसे लाइसेंस मंजूर किए जाने का प्रावधान, पहले ही शस्त्र नियमों में किया गया है। प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां (विनियम) अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकृत प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को हथियार रखने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। कतिपय मानदंड पूरा करने वाली ऐसी प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को हथियारों के लाइसेंस मंजूर किए जाने का निर्णय, ताकि वे सुरक्षा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के उद्देश्य से निर्धारित विवरण के कुछ संख्या के हथियार अपने साथ ले जा सकें, उचित समय में लिया जाएगा। तथापि, जहां तक व्यवसायियों/व्यापारियों/उद्योगपतियों/करदाताओं को अपनी रक्षा के लिए लाइसेंस मंजूर किए जाने का संबंध है, अलग-अलग व्यक्तियों को पी बी और एन पी बी हथियारों के लाइसेंस मंजूर करने के लिए लागू उपबंधों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इस संबंध में किसी विशेष व्यवस्था पर विचार नहीं किया जा रहा है।

23. **<u>खिलाड़ियों को हथियारों के लाइसेंस मंजूर करना:</u>** खिलाड़ियों द्वारा 10 हथियार तक रखने का प्रावधान है जो कतिपय शर्तों के अध्यधीन इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी स्पर्धाओं में भाग लेता है। इस संबंध में वर्तमान उपबंधों को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

24. **<u>हथियारों और गोलीबारूद का आयात:</u>** आग्नेयास्त्रों का आयात, डी जी एफ टी द्वारा जारी आयात की प्रतिबंधित सूची में है जो उचित मामलों में ही आयात की अनुमति देता है। इस संबंध में आयात की वर्तमान नीति जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

25. **<u>जारी किए गए लाइसेंसों का डाटाबेस:</u>** इस समय शस्त्र अधिनियम/शस्त्र नियमों में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसमें लाइसेंसिंग प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक हो कि वह जारी किए गए लाइसेंसों का विस्तृत और पूरा डाटाबेस रखे। इस बारे में एक उपबंध शामिल करने का निर्णय लिया गया है जिसमें लाइसेंसिंग प्राधिकारी के लिए डाटाबेस रखना और केन्द्र सरकार के साथ आंकड़ों का आदान-प्रदान करना अनिवार्य बनाया जाएगा, जो फिर राष्ट्रीय डाटाबेस बनाएगी। तदनुसार शस्त्र नियमों में संशोधन करके डाटाबेस के लिए प्रावधान किया जाएगा। पी बी हथियारों के डाटा सहित राष्ट्रीय डाटाबेस, केन्द्रीय तौर पर गृह मंत्रालय द्वारा रखा जाएगा।

राज्य सरकारों से सभी जिला मजिस्ट्रेटों को उनके द्वारा जारी किए गए सभी लाइसेंसों के विस्तृत और पूरा डाटाबेस रखने संबंधी अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया जा रहा है जिन्हें केन्द्र सरकार के साथ आदान-प्रदान किया जाए।

शस्त्र एवं गोलाबारूद विनिर्माण नीति

शस्त्र अधिनियम, 1959 दिनांक 01.10.1962 को प्रवृत्त हुआ था। शस्त्र नियम 1962 भी 01.10.1962 से प्रवृत्त हुए। शस्त्र अधिनियम/नियमों के अधिनियमन से पूर्व भारत सरकार के ध्यान में यह बात आई कि कुछ स्थानों पर छोटे शस्त्रों और गोलाबारूद का गैर-सरकारी पक्षकारों द्वारा निर्माण किया जा रहा है। अंतिम निर्णय होने तक तत्कालीन राज्य मंत्री द्वारा 25.03.1952 को अनुदेश जारी किए गए जिनमें विधिवत रूप से लाइसेंसधारी गैर-सरकारी पक्षकारों, जो पहले से ही इस कार्य को कर रहे थे, द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन शस्त्र एवं गोलाबारूद का विनिर्माण जारी रखे जाने के बारे में अनापत्ति दी गई थी :-

(क) रिवाल्वर, पिस्टल तथा राइफल्ड हथियारों अथवा इस प्रकार के हथियारों में प्रयुक्त होने वाले गोलाबारूद का विनिर्माण नहीं किया जाए;

(ख) सुरक्षा संबंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि इस प्रकार के कारखानों के उत्पाद अनधिकृत व्यक्तियों के हाथ न लग सकें; और

(ग) शस्त्रों और गोलाबारूद के विनिर्माण के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा पहले से जारी किए गए लाइसेंसों का विवरण गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाए।

2. दिनांक 30.4.1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसरण में भारत सरकार ने दिनांक 08.3.1957 को जारी किए गए अनुदेशों के तहत यह निर्णय लिया कि निजी क्षेत्र में ऐसे मौजूदा यूनिटों, जिनको इस प्रकार के विनिर्माण के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन पहले ही लाइसेंस प्रदान किया गया है, द्वारा शस्त्रों और गोलाबारूद के विनिर्माण को जारी रखने पर कोई आपत्ति नहीं है :-

(i) रिवॉल्वर, पिस्टल तथा राइफल्ड हथियारों अथवा इस प्रकार के हथियारों में प्रयुक्त होने वाले गोलाबारूद का विनिर्माण नहीं किया जाए;

(ii) सुरक्षा संबंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि इस प्रकार के कारखानों के उत्पाद अनधिकृत व्यक्तियों के हाथ न लग सकें;

(iii) इस प्रकार के यूनिटों का प्रचालन उनके द्वारा पहले से निर्मित की जा रही मदों तक ही सीमित हो;

(iv) उत्पादों की रेंज को बढ़ाकर और/अथवा पहले से निर्मित मदों की क्षमता में वृद्धि करके इन गतिविधियों में किसी भी प्रकार के विस्तार की अनुमति भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना न दी जाए;

(v) विनिर्मित हथियारों का निर्धारित विनियमों के अनुसार परीक्षण किया जाना चाहिए; और

(vi) शस्त्रों और गोलाबारूद के विनिर्माण के लिए कोई नए लाइसेंस प्रदान न किए जाएं।

3. 13.7.1962 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार एयर गन्स/एयर राइफल्स और एयर पिस्टल, जो परीक्षण पर खरे उतरते हैं, अर्थात् जिन हथियारों से निकलने वाली गोलियां एयर पिस्टल और एयर गन्स/राइफल्स द्वारा क्रमश: $^{1}/_{2}$ इंच और 1 इंच की मोटाई वाली गांठ रहित और दोनों तरफ से समतल चीड़ की लकड़ी के बोर्ड से बने 12 इन्च वर्ग के लक्ष्य को न भेद सके, के उत्पादन को उक्त अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन, शस्त्र अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से अलग रखा गया है।

4. आर्थिक व्यवहार्यता, उत्पादन क्षमता, निर्मित बंदूकों की गुणवत्ता अथवा उनके मूल लाइसेंस कोटा को किसी समय कम कर दिए जाने अथवा पुनर्निर्धारित करके कम किए जाने के आधार पर बंदूक विनिर्माण कोटा में वृद्धि करने की अनुमति प्रदान किए जाने के बारे में मौजूदा लाइसेंसधारी विनिर्माताओं से प्राप्त अनुरोधों के अनुसरण में एक व्यापक समीक्षा की गई। कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, आन्तरिक सुरक्षा की आवश्यकता, निजी विनिर्माताओं की मौजूदा क्षमता, नागरिकों के प्रयोग के लिए शस्त्रों का विनिर्माण करने हेतु आयुध कारखानों की उत्पादन क्षमता तथा आयात के जरिए आग्नेयास्त्रों की उपलब्धता पर गौर किया गया था। भारत सरकार ने जनहित में यह निर्णय लिया कि नीतिगत मामले के तौर पर भारत सरकार द्वारा शस्त्रों के विनिर्माण के लिए विनिर्माण कोटे में वृद्धि अथवा बहाली अथवा पुनर्निर्धारण अथवा संशोधन पर

किसी भी आधार पर विचार नहीं किया जाएगा। तदनुसार, 11.12.1985 को अनुदेश जारी किए गए।

5. नए विनिर्माण लाइसेंसों, उत्पाद रेंज के विविधीकरण, विनिर्माण कोटा में वृद्धि तथा मौजूदा लाइसेंसों से पूर्व में हटाई गई कुछ मदों को पुन: बहाल करने के बारे में शस्त्र एवं गोलाबारूद विनिर्माताओं से बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों के अनुसरण में भारत सरकार ने विनिर्माण नीति की समीक्षा की तथा 1.10.1991 को निम्नलिखित निर्णय लिए जिन्हें बाद में 5.10.95 को वापिस ले लिया गया:-

(i) राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार अब आगे से मज़ल लोडिंग (एम एल) बन्दूक विनिर्माताओं को मौजूदा लाइसेंस क्षमता के भीतर ब्रीच लोडिंग (बी एल) बन्दूकों का विनिर्माण करने की अनुमति दी जाए।

(ii) मौजूदा खाली फायर कारतूस विनिर्माताओं को उनकी समग्र सीमा के भीतर अपने मौजूदा कोटा के 20% तक जीवित कारतूसों का विनिर्माण करने की अनुमति प्रदान की जाए।

(iii) अनुमेय प्रकार के शस्त्रों और गोला बारूद के विनिर्माण के मामले में मौजूदा कोटा से 20% की वृद्धि की अनुमति राज्य सरकार की सिफारिशों के अध्यधीन प्रदान की जाए।

6. वर्तमान में 95 फर्में ऐसी हैं जिनको बन्दूकों (एक नली/दुनाली) के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लाइसेंस प्रदान किए गए हैं तथा 25 फर्में ऐसी हैं जो अपने लाइसेंसों में अनुमत कोटा तक कारतूसों (या तो खाली कारतूस अथवा जीवित कारतूस अथवा दोनों) का विनिर्माण करती हैं। यद्यपि न्यायालय के निर्णयों के परिणामस्वरूप अथवा अन्य प्रकार से विगत में कुछ फर्मों के कोटे में वृद्धि की गई किन्तु किसी भी आधार पर कोटे में वृद्धि न किए जाने के संबंध में 11/12/85 को जारी किए गए अनुदेश, जिनका 16.4.1998 को पुन: उल्लेख किया गया था, वर्तमान में भी लागू हैं।

7. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने शून्य अथवा 26% एफ डी आई तक निजी क्षेत्र में शस्त्रों और गोलाबारूद के विनिर्माण की अनुमति प्रदान किए जाने के बारे में 2001-2002 के दौरान मंत्रिमंडल से एक निर्णय प्राप्त किया तथा तीन फर्मों को औद्योगिक लायसेंस जारी किए। स्पोर्ट्स हथियारों के विनिर्माण की अनुमति देने के बारे में भी कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

8. देश में विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के लिए यह अपेक्षित है कि सरकार शस्त्रों और गोलाबारूद का पूर्णतः अप्रसार सुनिश्चित करे। तथापि, रक्षा क्षेत्र, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के लिए उन्नत हथियारों की आवश्यकताओं, शस्त्र और गोलाबारूद उद्योग के तकनीकी उन्नयन पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि :

क) निजी क्षेत्र में शस्त्रों के विनिर्माण की अनुमति डी आई पी पी द्वारा जारी किए जाने वाले औद्योगिक लाइसेंस के अध्यधीन सीमित आधार पर प्रदान की जाए।

ख) बड़े पैमाने के क्षेत्र की ऐसी यूनिटें जो उन्नत हथियारों का विनिर्माण करने तथा 50 करोड़ रु. से अधिक का निवेश करने में सक्षम हैं, से प्राप्त आवेदनों पर डी आई पी पी द्वारा 26% तक की एफ डी आई के साथ अथवा उसके बिना विचार किया जा सकता है क्योंकि 'शस्त्र एवं गोलाबारूद' की मद अनिवार्य लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत आती है। किसी भी स्थिति में कुटीर अथवा लघु उद्योग यूनिटों को नए लाइसेंस जारी न किए जाएं।

ग) शस्त्रों और गोलाबारूद की आपूर्ति मुख्यतः निविदा आधार पर केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों, रक्षा और राज्य सरकारों को की जाए अथवा इनका निर्यात किया जाए। स्वचलित और अर्ध स्वचलित हथियारों तथा अन्य सभी निषिद्ध बोर हथियारों को शस्त्र डीलरों के माध्यम से स्थानीय बाजार में बेचे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इनकी आपूर्ति अनिवार्य रूप से निविदा आधार पर रक्षा, केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य सरकारों को की जाएगी अथवा इनका निर्यात किया जाएगा।

(घ) स्पोर्ट्स संबंधी हथियारों तथा एन पी बी हथियारों की आपूर्ति केवल लाइसेंस धारकों को बिक्री के लिए पंजीकृत शस्त्र डीलरों को ही की जाएगी।

(ड.) मौजूदा फर्मों के विनिर्माण कोटा में किसी प्रकार की वृद्धि की अनुमति प्रदान नहीं की जाए।

(च) शस्त्रों और गोलाबारूद के विनिर्माण संबंधी आवेदनों पर प्रक्रिया के अनुसार डी आई पी पी द्वारा गृह मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जाए। स्पोर्टस संबंधी हथियारों के विनिर्माण संबंधी आवेदनों पर युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जाए जो इस बारे में भारतीय खेल प्राधिकरण, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया आदि, जैसा वह उचित समझे, से परामर्श कर सकता है।

(छ) डी आई पी पी ऐसी अन्य शर्तें लगा सकती है जो वह उचित समझे।

(ज) ऐसे मामलों, जिनमें डी आई पी पी द्वारा औद्योगिक लाइसेंस गृह मंत्रालय की सहमति के बिना पहले ही जारी कर दिए गए हों, में गृह मंत्रालय डी आई पी पी द्वारा औद्योगिक लाइसेंसों के नवीकरण को ऐसी कठोर शर्तों के अध्यधीन सहमति प्रदान कर सकता है जो नवीकरण के समय लगाई जाएंगी ताकि तीनों फर्में नई नीति के अनुसार प्रभावी कदम उठा सकें।

(झ) शस्त्र नियम, 1962 में प्रत्येक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी, जो निरीक्षक के रैंक से नीचे का न हो, को शस्त्रों और गोलाबारूद विनिर्माता के परिसरों में प्रवेश करने तथा उनका निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई है ताकि वह भण्डार और शस्त्रों और गोला बारूद के प्राप्ति और निपटान के लेखों का निरीक्षण कर सकें। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विनिर्माण यूनिटों का निरीक्षण निर्धारित करने तथा गृह मंत्रालय को सूचित करते हुए संबंधित राज्य सरकार के सचिव (गृह) को रिपोर्ट भेजने का प्रस्ताव किया गया है।

*****